

<sup>1</sup>प्ररूप सं.60

[नियम 114ख का दूसरा परन्तुक देखिए]

उस व्यष्टि या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं हैं) द्वारा फाइल किए जाने वाला का प्ररूप, जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है जो नियम 114ख में विनिर्दिष्ट कोई संव्यवहार करता है

1	प्रथम नाम																2	घोषणा करने वाले की जन्म/निगमन की तारीख					
	मध्य नाम																						
	उपनाम															D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
3	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)	प्रथम नाम																					
	मध्य नाम																						
	उपनाम																						
4	फ्लैट/कमरा नं. ....	5	तल सं .....																				
6	परिसर का नाम .....	7	ब्लॉक का नाम/सं. ....																				
8	सड़क/गली/लेन .....	9	क्षेत्र/अवस्थिति .....																				
10	नगर/शहर .....	11	जिला .....													12	राज्य .....						
13	पिन कूट .....	14	टेलीफोन संख्या (एसटीडी कूट सहित) .....													15	मोबाइल नंबर .....						
16	संव्यवहार की रकम (रु.)														18	संयुक्त नाम से संव्यवहार होने की दशा में, संव्यवहार में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या							
17	संव्यवहार की तारीख		D	D	M	M	Y	Y	Y	Y													
19	संव्यवहार का प्रकार : <input type="checkbox"/> नगद, <input type="checkbox"/> चैक, <input type="checkbox"/> कार्ड, <input type="checkbox"/> ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, <input type="checkbox"/> ऑनलाइन स्थानांतरण, <input type="checkbox"/> अन्य																						
20	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध)																						

- आय-कर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2015 द्वारा 1.1.2016 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व प्ररूप सं. 60 आय-कर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2004 द्वारा 1.12.2004 से प्रतिस्थापित तथा आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 1998 द्वारा 1.11.1998 से अंतःस्थापित किया गया था।

21	यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन किया है और वह अभी तक नहीं बना है तो आवेदन की तारीख और अभिस्वीकृति संख्या	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
22	यदि स्थायी लेखा संख्या आवेदन नहीं किया है तो जिस वित्तीय वर्ष में संव्यवहार किया गया है उसकी कुल अनुमानित आय (जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के तहत पति/पत्नी या अव्यक संतान की आय भी सम्मिलित है) भरी जाएगी।								
	क्रृषि आय (रु.)								
	ख श्रृंखला से अतिरिक्त आय (रु.)								
23	स्तंभ 1 में वर्णित पहचान के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (दूसरी ओर अनुदेश देखें)	दस्तावेज कूट		दस्तावेज पहचान संख्या		दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता			
24	स्तंभ 4 से 13 में वर्णित पते के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे	दस्तावेज कूट		दस्तावेज पहचान संख्या		दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता			

#### सत्यापन

मैं.....यह घोषणा करता/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे और यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के तहत पति/पत्नी या अव्यसक संतान की आय भी सम्मिलित है) उस वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त संव्यवहार किया गया है आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अभिकलित की गई है जो अधिकतम कर प्रभार्य आय से कम है। आज तारीख.....2015 को सत्यापित किया जाता है।

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

#### टिप्पण:

- घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को खुद की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी पूर्णरूप से सही है, सत्य है और संपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध होने पर दंडनीय होगा,-
  - ऐसी दशा में अपवंचन के लिए कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक होता है कठोर कारावास से जो छ: मास से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
  - किसी अन्य मामले में कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा किंतु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
- घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति वहां घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां मद 22ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम उस रकम से अधिक हो जाती है जो कर के प्रभार्य नहीं हैं सिवाय तब स्थायी लेखा संख्या लागू की जाती है और स्तंभ 21 समयक्ता भरा जाता है।

अनुदेश:

(1) पहचान और पते के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन दिया है और मद 20 भरा है तो आवश्यक नहीं है):-

क्रम	दस्तावेजों की प्रकृति	दस्तावेज कूट	पहचान प्रमाण	पते का प्रमाण
क	व्यष्टिकों और हिन्दु अविभक्त कुटुंब के लिए			
1.	आधार कार्ड	01	हां	हां
2.	बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	02	हां	हां
3.	निर्वाचक पहचान पत्र	03	हां	हां
4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	04	हां	हां
5.	ड्राइविंग लाईसेंस	05	हां	हां
6.	पासपोर्ट	06	हां	हां
7.	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड	08	हां	हां
9.	जाति या अधिवासी प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हां	हां
10.	प्रखण्ड 49क में उल्लिखित उपावंध के अनुसार संसद सदस्य या विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाण पत्र	10	हां	हां
11.	प्रखण्ड 49क में उल्लिखित उपावंध ख के अनुसार नियोजक से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
12.	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	12	हां	नहीं
13.	हाथियार लाईसेंस	13	हां	नहीं
14.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना/पूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हां	नहीं
15.	सरकार या पब्लिक सैक्टर उपकरण द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हां	नहीं
16.	बिजली बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
17.	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
18.	पानी का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	18	नहीं	हां
19.	गैस ग्राहक कार्ड/बुक या गैस पाईप का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
20.	बैंक खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
21.	क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
22.	डिपॉसिटरी अकाउंट विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
23.	संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेज	23	नहीं	हां
24.	सरकारी आवास का आवंटन पत्र	24	नहीं	हां
25.	पति/पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हां

26.	संपत्ति कर संदाय रसीद (एक साल से पुराना नहीं)	26	नहीं	हां
ख.	व्यक्तियों के संगम (न्यास)			
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की प्रति	27	हां	हां
ग	व्यक्तियों के संगम (न्यास के अतिरिक्त) या व्यष्टिकों के निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति			
	समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से व्यक्ति का स्थापना पहचान और पते का कोई अन्य दस्तावेज	28	हां	हां

(2) किसी अव्यसक के नाम पर संब्यवहार होने की दशा में ऐसे अव्यसक के माता पिता या अभिभावक का उपरोक्त में वर्णित पहचान और पते का कोई भी प्रमाण उस अव्यसक का पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और घोषणा को माता पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) हिन्दु अविभक्त कुटुंब के लिए हिन्दु अविभक्त कुटुंब के कर्ता के नाम पर दस्तावेज अपेक्षित होगा।

(4) एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर संब्यवहार होने की दशा में सभी व्यक्तियों की कुल संख्या क्रम संख्यांक 18 में वर्णित की जाएगी और संब्यवहार की कुल रकम क्रम संख्या 16 में भरी जाएगी।

संभ 22ख में अनुमानित आय अधिकतम कर प्रभार्य आय से अधिक होने पर व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन देना होगा, मद 21 भरना होगा और आवेदन देने का प्रमाण देना होगा।